1287.

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक ......................./

पटना, दिनांक...................................
सं०सं०– 03 / उ०नि० / कौ०वि०प्रशि०(सामान्य)–02–02 / 2018

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत CIPET, हाजीपुर / TRTC,पटना / FDDI, बिहटा / NIT, पटना / IED,पटना / ATDC, पटना एवं अन्य भारत सरकार / राज्य सरकार के संस्थानों के द्वारा राज्य के सामान्य प्रक्षेत्र के बेरोजगार युवकों / युवतियों को रोजगारोंन्मुख विभिन्न ट्रेडों में आवासीय / गैर–आवासीय तीन माह एवं छः माह का प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹15,00,000,00.00 (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत CIPET, हाजीपुर / TRTC,पटना / FDDI, बिहटा / NIT, पटना / IED,पटना / ATDC, पटना एवं अन्य भारत सरकार / राज्य सरकार के संस्थानों के द्वारा राज्य के सामान्य प्रक्षेत्र के बेरोजगार युवकों / युवतियों को रोजगारोंन्मुख विभिन्न ट्रेडों में आवासीय / गैर–आवासीय तीन माह एवं छः माह का प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹15,00,000,00.00 (पन्द्रह करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

(2.) मांग के आधार पर प्रशिक्षणार्थियो की संख्या संस्थावार प्रधान सचिव से अनुमोदन प्राप्त कर उद्योग निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्रशिक्षण Bihar Skill Development Mission (BSDM) से अनुमोदित केन्द्रों में दिया जाएगा।

(3.) प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान संस्थान को Bihar Skill Development Mission (BSDM) पटना श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 463 दिनांक 30.06.2017 के अनुसार किया जाएगा।

(4.) Bihar Skill Development Mission (BSDM) पटना को पोर्टल यूजर/चार्ज का भुगतान श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 463 दिनांक 30.06.2017 के अनुसार किया जाएग।

(5.) आवासन हेतु संस्थान को Bihar Skill Development Mission (BSDM) पटना के दर 200 रूपया प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से भुगतान किया जाएगा।

(6.) प्रशिक्षण अवधि आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन न्यूनतम छः घंटा से कम नहीं रहेगा।

(7.) संस्थान को थर्ड पार्टी एसेसमेंट Bihar Skill Development Mission (BSDM) पटना के अधिकृत एजेंसी से कराना होगा।

(8.) प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को Bihar Skill Development Mission (BSDM) के अनुसार कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का कम से कम 50% का नियोजन / स्वनियोजन कराया जायेगा। नियोजित व्यक्तियों को एक साल ट्रेकिंग किया जाएगा तथा प्रतिवेदन Bihar Skill Development Mission (BSDM) पटना के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(9.) प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत राशि का व्यय एवं इच्छुक अभ्यर्थियों का चयन के दिशा–निर्देश के अनुरूप की जायेगी।

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

(10.) प्रशिक्षण हेतु राशि की स्वीकृति **Bihar Skill Development Mission (BSDM)** पटना के पत्रांक–986 दिनांक–30.11.2017 द्वारा निर्धारित कास्ट कटैगरी के अनुसार की जाएगी। इस राशि का व्यय निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट उपबंध में यथेष्ट उपलब्ध राशि से की जायेगी :–

| क्र0स0 | बजट शीर्ष का नाम | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| i. | मुख्य शीर्ष 2852– उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष 0135–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, मांग सं0–23 विपत्र कोड 23–2852801020135, के विषय शीर्ष–0135.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित | ₹150000000 |
| | कुल राशि :– | ₹150000000 |

(पन्द्रह करोड़ मात्र)

(11.) स्वीकृत राशि कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, लेखा, उद्योग निदेशालय, पटना होगें, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी BTC फार्म 46 पर कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना के पी0एल0 खाता नम्बर P.L.A-277 में उपलब्ध करायेगें ।

(12.) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन/नोडल एजेंसी होगें। जिनके द्वारा प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं से MOU किया जाएगा।

(13.) स्वीकृत राशि में से 30 प्रतिशत राशि का व्यय जेंडर बजट में की जाएगी।

(14.) उद्योग मित्र में रक्षित राशि को समय–समय पर उद्योग निदेशक द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में उपरोक्त संस्थान एवं **Bihar Skill Development Mission (BSDM)** को भुगतान किया जाएगा।

(15.) प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान **Bihar Skill Development Mission (BSDM),** पटना के ज्ञापांक–944 दिनांक–22.11.2017 द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशो के अनुरूप निम्न रूप मे की जायगी।

(i) प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत भुगतान– एक तिहाई प्रशिक्षण अवधि अथवा प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाने के एक माह बाद एवं अच्छादित अवधि में 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर भुगतेय।

(ii) प्रशिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान–प्रशिक्षण समाप्त होने एवं अधिकृत एजेंसी से एसेसमेंट उत्तीर्ण आवेदको के आधार पर भुगतेय।

(iii) प्रशिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत भुगतान–50प्रतिशत नियोजन/स्वनियोजन के बाद भुगतेय।

(iv) प्रशिक्षणं शुल्क का 10 प्रतिशत भुगतान–12 माह तक नियोजितो के ट्रेकिंग के बाद भुगतेय।

(16.) इस योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें। वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगें।

(17.) स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड अंकित करेगें।

(18.) प्रस्ताव में विभागीय मंत्री की स्वीकृति संचिका संख्या–*03/उ0नि0/कौशल विकास प्रशिक्षण (सामान्य)–02–02/2018* के पृष्ट–03/टि0 पर दिनांक–24.03.2018को प्राप्त है।

(19.) यह स्वीकृत्यादेश के प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(20.) राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0 (2) दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.1998 की कंडिका– 2 एवं 15 एवं पत्रांक–2938 वि0 (2) दिनांक–08.04.08 के आलोक में किया जायेगा, तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ट–03 पर...

(21) वित्त विभागीय पत्रांक–7355 / वि(2) दि0–05.10.2007 के आलोक में स्वीकृत राशि के निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(22) प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0 / –

अपर सचिव
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक ...................... / पटना, दिनांक ..........................

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

अपर सचिव
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक ...................... / पटना, दिनांक ..........................

प्रतिलिपि :– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

अपर सचिव
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक 1287 / पटना, दिनांक 27.3.'18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / मिशन निदेशक **Bihar Skill Development Mission (BSDM)** पटना / आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उद्योग मित्र, इंदिरा भवन बिहार, पटना / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 (स0), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा–03, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ / उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग / आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26-7

अपर सचिव
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**